न्यायालय श्रीमान प्रशासकीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

के0 द्विवेदी एड0
ज दि. 11.3.14 को

11-3-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-862-III / 14

रामुनि पिता श्री रामावतार पटेल साकिन अटरिया, उम्र 70 वर्ष, पेशा खेती, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0 ------------ निगरानीकर्ता

बनाम

1- सुमेरे पिता पतोले चमार उम्र 65 वर्ष, पेशा खेती (मृतक) विधिक वारिस

2(अ) सुरजू हरिजन पिता सुमेरे हरिजन उम्र 60 वर्ष,

(ब) ललल्लूदास हरिजन पिता सुमेरे हरिजन

(स) विभीषन हरिजन पिता सुमेरे हरिजन

(द) इन्दरनिया पत्नी केदार हरिजन पुत्री सुमेरे हरिजन

(प) लक्ष्मी पत्नी रमेश्वर हरिजन पुत्री सुमेरे हरिजन

(फ) पत्नी मुन्नूलाल पुत्री सुमेरे हरिजन

(ब) प्रेमवती पत्नी रामगरीब, पुत्री सुमेरे हरिजन

सभी निवासी ग्राम अटरिया, थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा

3- बिसाले तनय पतोले चमार उम्र 60 वर्ष

4- मृत. बिखुई बेवा सुग्रीव चमार उम्र 70 वर्ष (मृतक) विधिक वारिसगण

5- रामकरण उम्र 55 वर्ष

6- रामचरण उम्र 53 वर्ष

7- देवशरण उम्र 45 वर्ष — सभी के पिता सुग्रीव चमार

8- लछिमन उम्र 40 वर्ष — सभी का पेशा खेती एवं मजदूरी

9- जमुना तनय सुग्रीव चमार — ग्राम अटरिया, थाना व तहसील

10-यशभान उम्र 35 वर्ष — हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0

11-3-14
K.K. Dwivedi

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 862/III/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24.4.2014	यह निगरानी नायव तहसीलदार, खटकरी तहसील हनुमना जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 15 अ 6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 06-04-2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने। उन्होंने बताया कि नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 15 अ 6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 06-04-2013 से भूमि सर्वे कमांक 08 के रकबा 0.40 एकड़ का नक्शा तरमीम कर दिया है, जबकि आवेदक लगे हुई सर्वे नबर 206 के रकबा 0.80 का कास्तकार है। इस प्रकार आवेदक को पक्षकार बनाये बिना एंव सुनवाई का मौका दिये बिना नक्शा तरमीम का एकपक्षीय दिया गया है । आवेदक सरहदी कास्तकार होने से हितबद्व है जिसे निगरानी करने की अनुमति प्रदान की जावे। उन्होंने बताया कि नक्शा तरमीम करने की शक्तियां संहिता की धारा 107 में कलेक्टर को है नायव तहसीलदार का आदेश अधिकारिताहवीनल है इसलिये निगरानी ग्राह्य की जाकर सुनवाई की जावे। 3/ निगरानी मेमो के तथ्यों एंव नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 6-4-13 से परिलक्षित है कि उन्होंने ग्राम	

अटरिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 08 के रकबा 0.40 एकड़ का नक्शा तरमीम करने के आदेश दिये हैं। प्रकरण में आये तथ्यों पर मनन करने पर विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या नक्शा तरमीम करने के अधिकार नायव तहसीलदार को हैं अथवा नहीं ?

1. म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 70 – सर्वेक्षण संख्याकों को पुर्नकमांकित या उप विभाजित करने की शक्ति – टिप्पणी (आ) – बंदोवस्त अधिकारी की शक्तियॉ प्रदत्त – बंदोवस्त अवधि के भीतर इस धारा के अधीन बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर कर सकेंगें (धारा 90 देखें) कलेक्टर की ये शक्तियॉ तहसीलदारों को प्रदान की गई है। धारा 24 के अंतर्गत डिप्पणी इ (90) देखें।

संहिता की धारा 71 में नियम 3 इस प्रकार है –

2. बंदोवस्त अधिकारी धारा 70 (अब 67) के अधीन अधिसूचना व्दारा आच्छादित ऐसे गॉवों का परिमाप या पुर्नमापन या नक्शों की शुद्वि कार्यान्वित करेगा जिनमें ऐसे परिमाप , पुर्नमापन या नक्शों की शुद्वि की आवश्यकता हो।

उक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 70 सहपठित 67 एंव 68 (आ) एंव धारा 24 की टिप्पणी ई (9) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर आदेश 25–9–12 पारित किया है जो अपील योग्य है और आवेदक के पास नायव तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील का उपचार प्राप्त है। आवेदकगण इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं ।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अप्रचलयोग्य पाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल